अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

ग्राम मुंगलिया कोट, सुखी सेवनिया, विदिशा रोड़, भोपाल–462038 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2491051/52, वेबस्थल : www.abvhv.edu.in, अणुडाक : abvphvbpl@gmail.com

संदर्भ :– विज्ञापन क्र. एफ–1(16)/2022/स्था. 2147/अबिवाहिंविवि, दिनांक 28/04/2022

आवेदन करने की अंतिम तिथि 03/06/2022

महत्वपूर्ण निर्देश

(विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों पर सीधी भर्ती)
(यू.जी.सी. के रेग्युलेशन–2018 तथा संशोधित रेग्युलेशन–2021 के संदर्भ में)

1. पदों की जानकारी सहित शुल्क विवरण एवं आवेदन प्रपत्र आदि समस्त जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.abvhv.edu.in पर उपलब्ध हैं। आगामी निर्देश भी समय–समय पर यहीं प्रदर्शित किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
2. विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन के लिये शुल्क रू 2000/– (अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग) तथा राशि रू. 1000/– (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की शुल्क निर्धारित है, यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क, विश्वविद्यालय के बैंक ऑफ बड़ौदा, खाता क्रमांक 13430100012347, IFSC कोड BARB0SUKHIS (पॉचवा संक्षेपाक्षर शून्य है), सूखी सेवनिया, भोपाल के खाते में ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य हैं तथा इसकी छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आवश्यक प्रमाण–पत्र अंकसूची आदि की छायाप्रतियों के साथ कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल–462038 के कार्यालय में दिनांक 29.04.2022 से व्यक्तिशः/स्पीडपोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा कार्यालयीन समय में दिनांक 03/06/2022 तक प्राप्त किये जाएँगे। डाक में विलम्ब का दायित्व विश्वविद्यालय का नही होगा। इसके उपरान्त आने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
4. लिफाफे पर <u>'सहायक प्राध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र'</u> अंकित होना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन कमांक, दिनांक, विषय लिखना अनिवार्य है। आवेदन पत्र में प्रेषक का विवरण लिफाफे के उपर अवश्य लिखा जावे तथा लिफाफा कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल–462038 के पते पर प्रेषित किया जाना चाहिए।

<u>आवेदन</u> :–

1. आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.abvhv.edu.in से डाउनलोड कर केवल ए–4 साइज के कागज पर स्वतः प्रिंट करें।
2. आवेदन–पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय से उपलब्ध नहीं होगा। आवेदन–पत्र वेबस्थल से डाउनलोड कर भरना है। आवेदन पत्र में प्रविष्टियाँ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से काले/नीले बाल पेन से अथवा टंकित भी की जा सकती है। आवेदन–पत्र कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, ग्राम मुंगलिया कोट, सूखी सेवनिया, विदिशा रोड़, भोपाल–462038 (म.प्र.) के पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अंतिम तिथि 03 जून 2022 तक पहुँचना आवश्यक है।

आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिये।

4. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र, अनुभव, शोध, प्रकाशन एवं अन्य जानकारी के समर्थन में संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित छाया प्रतियाँ (सूची सहित) संलग्न करना अनिवार्य है।
5. अपूर्ण/अस्पष्ट/अधूरे भरे हुए आवेदन मान्य नही किये जावेंगे।
6. आवेदन प्रपत्र के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नहीं होगा। निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवेदन न करने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र को अमान्य किया जाता या उसे विचार के योग्य नहीं पाया जाता तो आवेदन पत्र एवं शुल्क राशि वापस नहीं की जायेगी।
7. शासकीय/अर्द्धशासकीय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ संस्था में कार्यरत कर्मचारी को उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जमा करना होगा। ऐसे आवेदक आवेदन पत्र की एक अग्रिम प्रति समय–सीमा में सीधे भेज सकते है। ऐसे आवेदक को साक्षात्कार के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र (एन.ओ.सी) या विधिवत उचित माध्यम से अग्रेषित आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा।
8. प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. अभ्यर्थियों को हिंदी भाषा द्वारा अध्यापन, संवाद और चर्चा की दक्षता आवश्यक होगी।
10. अभ्यर्थी परीक्षा यदि कोई होती है/साक्षात्कार के लिये किराया तथा यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।
11. पदों की संख्या घटाई एवं बढ़ाई जा सकती है तथा विश्वविद्यालय को एक या एक से अधिक या सभी पदों के विज्ञापन को निरस्त करने का अधिकार होगा। चयन के संबंध में समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं और विश्वविद्यालय के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।
12. सभी नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय के नियमों से बंधित होगी तथा किसी भी समय पर यूजीसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
13. किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचारित करना अभ्यर्थी की अयोग्यता समझा जायेगा।
14. किसी भी विवाद के लिए विधिक/न्यायिक क्षेत्र जिला भोपाल होगा।
15. अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में कार्य करने हेतु किसी भी विषय के प्रत्येक पद के आवेदनकर्ता को हिंदी भाषा में अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य करने की दक्षता प्राप्त होना आवश्यक है। यह अनिवार्य योग्यता है। अन्य भाषाओं के ज्ञान के साथ संबंधित विषय को हिंदी में अनुवाद करने की दक्षता वांछ्नीय है।

आरक्षण की पात्रता :–

म.प्र. के मूल निवासी एवं केवल ''मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अद्यतन जाति प्रमाण–पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र होगें।'' उपरोक्तानुसार जारी अद्यतन जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

न्यूनतम अहर्ताएं, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्ते :–

1. विज्ञापित पदों (असिस्टेंट प्रोफेसर) हेतु न्यूनतम अहर्ताएं, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्ते विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) तथा विश्वविद्यालय में तत्समय लागू नियमों के अनुसार होंगी।

   भारत का राजपत्र दिनांक 12 अक्टूबर 2021 में प्रकाशित तथा यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक एफ. नं. 9–1/2010(PS/MISC)pt.Vol-II) दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के अनुसार सहायक प्राध्यापक पद हेतु सीधी

भर्ती के लिये पीएचडी उपाधि को दिनांक 01.07.2023 से अनिवार्य माना गया है। इस विज्ञापन में दी गई अवधि में आवेदन करने वाले अभ्यार्थी नेट/स्लेट योग्यता धारी भी सहायक प्राध्यापक के लिये पात्र होगें।

2. यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2018 तथा यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2021 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु विश्वविद्यालय के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3A) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांको पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने (Short Listed) हेतु विचार किया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस हेतु समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं एवं विनियम लागू होंगे।

3. अपात्रता :- निम्नांकित व्यक्ति आवेदन एवं चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:-

(i) न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक प्रकरण में दण्डित अभ्यर्थी।

(ii) मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आरक्षण (अन्य पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), प्रमाण-पत्र धारक।

(iii) आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि पर न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी।

(iv) त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/भ्रामक जानकारी देने वाले तथा/अथवा जानकारी छुपाने वाले अभ्यर्थी।

(v) शासन/विश्वविद्यालय के किसी अन्य नियम के अंतर्गत म.प्र. शासन की सेवा हेतु अपात्र अभ्यर्थी।

4. अन्यत्र शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आवेदन के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा।

5. पदों की संख्या में किसी भी समय परिवर्तन करने तथा घोषित पदों को निरस्त करने सहित, घोषित पदों पर चयन करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

6. प्रकाशित विज्ञापन एवं शर्तो में उल्लेखित न्यूनतम अहर्ताओं को धारित करने मात्र से किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने तथा चयन हेतु आवश्यकतानुसार मापदंड निर्धारण करना विश्वविद्यालय को विशेषाधिकार होगा।

7. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसके परिमार्जन हेतु उचित कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा।

8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) के नियम आदि उनकी वेब साईट ugc.ac.in पर देखे जा सकते हैं।

9. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

10. न्यायिक विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार भोपाल शहर का होगा।

कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,
भोपाल (म.प्र.)